न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 641/2022

अनवान : –

1. लालचन्द पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. कमला
2. कलावती
3. विमला
4. मैना
5. विद्या

पुत्रीयान मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

6. कृष्ण पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. बलवीर पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल **वादी**
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 12/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 42/38 की कुल 6.3250है0 भूमि मय रास्ता व खाला दर्ज जिसमें वादी का 9/64 हिस्सा व प्रतिवादीया स0 1 का 1/64 हिस्सा प्रतिवादी स0 2 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6 का 9/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 7 का 9/64 हिस्सा, भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 7 का उक्त वाद भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 1 ता 5 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 6 ता 7 की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चा[illegible]ना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 6 ता 7 के पक्ष में [illegible] वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स0 6 ता 7 बहिव काबिज है। वादी अपने [illegible] की भूमि को अपने नाम [illegible] करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही विनाय मुस्[illegible]त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक हकत्याग के वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब दावा मय ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 8 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य मे वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 7 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 1 ता 5 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 6 ता 7 की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 6 ता के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। वादी अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 7 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 42/38 की कुल 6.3250है0 भूमि मय रास्ता व खाला दर्ज जिसमें वादी का 9/64 हिस्सा व प्रतिवादीया स0 1 का 1/64 हिस्सा प्रतिवादी स0 2 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6 का 9/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 7 का 9/64 हिस्सा, भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, **सजरा नही बनाया है उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है।** प्रतिवादी सं0 1 ता 7 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय ईकबाल दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

Scanned with CamScanner

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 42/38 की कुल 6.3250है0 भूमि मय रास्ता व खाला दर्ज जिसमें वादी का 9/64 हिस्सा व प्रतिवादीया स0 1 का 1/64 हिस्सा प्रतिवादी स0 2 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6 का 9/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 7 का 9/64 हिस्सा, भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 6 ता 7 का 1/2 हिस्सा के बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.4.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 641/2022

अनवान : –

1. लालचन्द पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. कमला
2. कलावती
3. विमला
4. मैना
5. विद्या

} पुत्रीयान मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

6. कृष्ण पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. बलवीर पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 641 सन 2022 निर्णय दिनांक........

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल व वकील प्रतिवादी श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 42/38 की कुल 6.3250है0 भूमि मय रास्ता व खाला दर्ज जिसमें वादी का 9/64 हिस्सा व प्रतिवादीया स0 1 का 1/64 हिस्सा प्रतिवादी स0 2 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6 का 9/64 हिस्सा, प्रतिवादी स0 7 का 9/64 हिस्सा, भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 6 ता 7 का 1/2 हिस्सा के बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड [illegible] अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिन[illegible] न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:38 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Scanned with CamScanner